धारा 132 : कतिपय अपराधों के लिए दंड

(1)[1][जो कोई निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध को करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और उससे उद्भूत फायदों का प्रतिधारण करेगा], अर्थात् :

(क) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना, किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति, कर अपवंचन के आशय से करता है ;

(ख) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों की पूर्ति किए बिना बीजक या बिल जारी करता है जिसके परिणामस्वरूप इनपुट कर प्रत्यय का त्रुटिपूर्ण फायदा या उपयोग होता है या कर का त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय होता है;

[2][**(ग)** खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करके इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है या किसी बीजक या बिल के बिना कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है;]

(घ) कोई रकम कर के रूप में संगृहीत करता है किन्तु उसका उस तारीख से जिसको ऐसा संदाय देय हो जाता है, तीन मास की अवधि के पश्चात् तक सरकार को संदाय करने में असफल होता है;

(ड.) कर अपवंचन करता है, [3][.....] कपट से प्रतिदाय प्राप्त करता है और जहां ऐसा अपराध खंड (क) से खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आता;

(च) इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय से अपवंचन के आशय से या तो वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झुठलाता है या झूठे लेखा या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या किसी झूठी सूचना को प्रस्तुत करता है;

(छ) [4][.....]

(ज) किसी माल, जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम के तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन जब्त करने के लिए दायी है, उसका कब्जा अर्जित करता है या उसके परिवहन में स्वयं को किसी माध्यम से संबद्ध करता है, उसे हटाता है या जमा करता है, रखता है, छिपाता है, उसकी पूर्ति करता है या विक्रय करता है या किसी अन्य रीति में उसका व्यौहार करता है;

(झ) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या किसी अन्य प्रकार से उसकी पूर्ति से संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में ऐसी सेवा की पूर्ति में लगा रहता है जिसको वह यह जानते हुए करता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है;

(ञ) [5][.....]

---

1 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''जो कोई निम्नलिखित में से किसी अपराध को करता है'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा खंड (ग) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

''(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का प्रयोग करके इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता है;''

3 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा ''कपट से इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेता है या'' विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

4 वित्त अधिनियम, 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा खण्ड (छ) विलोपित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2023। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :–

''**(छ)** इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता है या उसे रोकता है;''

5 वित्त अधिनियम, 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा खण्ड (ञ) विलोपित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2023। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :–

''**(ञ)** किसी सारवान् साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;''

(ट) [6][.....]

(ठ) इस धारा के [7][खण्ड (क) से खण्ड (च) और खण्ड (ज) से खण्ड (झ)] में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी को करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है,

तो वह–

(i) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत तरीके से ली गई या प्रयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या प्रतिदाय की रकम पांच सौ लाख रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से;

(ii) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत तरीके से ली गई या प्रयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या प्रतिदाय की रकम दो सौ लाख रुपए से अधिक है लेकिन पांच सौ लाख रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से;

(iii) [8][खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की दशा में, जहां कर अपवंचन] की रकम या गलत तरीके से ली गई या प्रयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या प्रतिदाय की रकम एक सौ लाख रुपए से अधिक लेकिन दो सौ लाख रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से;

(iv) खंड (च) [9][.....] में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का दोषसिद्ध है तथा पुनः इस धारा के अधीन दोषसिद्ध होता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (1) के खंड (i), खंड (ii) और खंड (iii) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट कारावास, विशेष और उचित तत्प्रतिकूल कारणों से, जिन्हें न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किया जाए, की अनुपस्थिति में, छह मास से कम अवधि का नहीं होगा।

(4) *दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, उपधारा (5) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय, असंज्ञेय

---

6 वित्त अधिनियम, 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा खण्ड (ट) विलोपित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2023। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :–

''(ट) किसी सूचना का प्रदाय करने में असफल रहता है जिसे उसके द्वारा इस अधिनियम में या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन दिया जाना अपेक्षित है (जब तक कि उसके पास युक्तियुक्त विश्वास न हो, जिसे सिद्ध करने का भार उस पर है कि उसके द्वारा दी गई सूचना सत्य है) या वह कोई झूठी सूचना देता है; या''

7 वित्त अधिनियम 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा ''खण्ड (क) से खण्ड (ट) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2023।

8 वित्त अधिनियम 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा ''जहां कर अपवंचन'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2023।

9 वित्त अधिनियम 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा ''या खण्ड (छ) या खण्ड (ञ)'' शब्द विलोपित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2023।

* देखें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का क्रमांक 46) (प्रभावशील दिनांक 01.07.2024)।

और जमानतीय होंगे।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट और उस उपधारा के खंड (i) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

(6) कोई व्यक्ति आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन के लिए ''कर'' पद में अपवंचित कर की रकम या गलत तरीके से प्राप्त या प्रयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या समेकित माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गलत तरीके से ली गई रकम और माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन उद्गृहीत उपकर सम्मिलित है।